संख्या:62/2025/468/35-4-2025/35-4099/45/2025

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 30 अप्रैल,2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-वाराणसी में निम्नलिखित कार्यों की रू. **1298.26** लाख (रूपये बारह करोड़ अट्ठानबे लाख छब्बीस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्ण धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
सेवापुरी विधानसभा				
1	पिच रोड उमाशंकर के मकान से गजराज मास्टर के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य (गंजारी नैपुरा)	180	9.46	9.46
2	ग्राम करधना में रामधनी के खेत से राजन राजभर के घर तक इन्टरलाकिंग का कार्य	250	12.91	12.91
3	उमाशंकर बिन्द के घर से बखेडू पाल के खेत तक इंटरलाकिंग का कार्य (ग्राम राखी)	225	19.29	19.29
4	पिच रोड पप्पू दुबे के मकान से जवाहिर उपाध्याय के घर तक इन्टरलाकिंग का कार्य	310	16.24	16.24
5	डॉ० गिरिजा के घर से विनोद पटेल के घर तक इन्टरलाकिंग का कार्य (चौखंडी भाऊपुर)	45	2.38	2.38
6	श्रीस दुबे के मकान से पश्चिम लठियवा तालाब तक इन्टरलाकिंग का कार्य	210	9.87	9.87
7	गंजारी में आशुतोष मिश्रा के घर के पास से नागेद्र के घर तक इन्टरलाकिंग का कार्य	180	9.47	9.47
8	बेलौड़ी में रवींद्र शर्मा के घर से शिव मंदिर तक इन्टरलाकिंग का कार्य	200	10.48	10.48
9	हरपुर में बुद्धिराम के घर से पिच रोड गंगापुर मार्ग तक इन्टरलाकिंग का कार्य	150	8.98	8.98
10	हरसोस में जी डी पेट्रोल पम्प के पास ऋषि नारायण के घर के पास नल से बच्चेलाल के खेत तक नाला का कार्य।	220	8.57	8.57
11	ग्राम सभा कृष्णदत्तपुर मे लल्लू सिंह के घर के पास पोखरा से प्रेम नारायण पाल के घर तक इण्टरलॉकिंग का कार्य।	250	18.99	18.99
12	ग्राम सभा जक्खिनी मेन रोड खड़न्जा से जगदीश प्रसाद सिंह के घर तक इंटरलाकिंग का कार्य।	200	12.79	12.79
13	ग्राम सभा शहंशाह पुर में पिच रोड से राजकुमार पटेल के घर तक इन्टरलाकिंग का कार्य	160	8.71	8.71

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
14	गौर नहर से कल्लू मिश्रा जी के मकान तक इन्टरलाकिंग का कार्य । (ग्राम सभा गौर)	500	30.98	30.98
15	बरहमपुर (ग्राम गौर) SNS ।T। से अशोक मिश्रा जी के घर तक इन्टरलाकिंग का कार्य	420	26.75	26.75
16	ग्राम सभा बंगालीपुर में डॉ राजदेव मौर्या जी के घर के पास से डीह बाबा मन्दिर तक इन्टरलाकिंग का कार्य	400	27.01	27.01
17	ग्राम तिनकेडवा में पिच रोड से प्रकाश विश्वकर्मा के घर तक इन्टरलाकिंग का कार्य	300	16.51	16.51
18	भटसार गैरहा मार्ग से साधन सहकारी समिति हरिभानपुर होते हुए शिवशंकर के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण।	350	20.40	20.40
19	राजातालाब-जक्खिनी खैर मार्ग से ज्ञानेद्र सिंह के घर तक सड़क निर्माण इण्टरलॉकिंग का कार्य।	60	3.86	3.86
20	जन्सा बेरुका अनिल गर्ग के मकान से अनिल सिंह (ग्रिड पावर) के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	220	13.78	13.78
21	सेवापुरी के ग्रामसभा-वीरभानपुर ओदार में पंचकोशी मार्ग पेट्रेल पम्प से व्यायामशाला तक होते हुए जियाराम सियाराम के घर तक सड़क निर्माण का कार्य	700	33.59	33.59
22	ग्राम-दिलावलपुर सेवापुरी में लालधर दुबे के मकान के पास से सी.सी. रोड मुन्नाराम के दुकान होते हुए नहर पुलिया (दलित बस्ती होते हुए) के पास तक सडक निर्माण कार्य।	330	18.75	18.75
रोहनिया विधानसभा				
23	मुख्य सड़क से सरस्वती कुलभ शिक्षण संस्थान टिकरी ढेरावीर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	170	15.14	15.14
24	बाबलू यादव के घर से शंकर जी के मंदिर तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	125	8.01	8.01
25	देवरा चक्र में पिच रोड से विजय सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य	250	20.21	20.21
26	दफफलपुर चौराहा सगहट मार्ग पर स्थित रामजतन राजभर के घर से कृष्ण कुमार ओझा के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	180	14.42	14.42
27	नारायणपुर (डाफी) मे स्थित श्री शिव सोनकर जी के घर से श्रीमती मीरा चतुर्वेदी के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	100	10.31	10.31
28	रोहनिया विधानसभा के फरीदपुर गांव में डीह बाबा मंदिर से लठिया ड्रेन तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	540	32.94	32.94
29	विकास नगर कालोनी में कर्दमेश्वर महादेव मंदिर से इद्रांणी गैस गोदाम वाली रोड पर शारदा मैरेज लॉन से उत्तर तरफ इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	280	23.44	23.44
30	नुआंव बाइपास से शूलटंकेश्वर महादेव व मुडादेव महादेव को जाने वाली सडक से लिंक रोड काशीपुर कुरहुआ तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	170	11.42	11.42
31	ग्राम-छितौनी, पोस्ट-बच्छावं सीताराम के घर से लेकर बाबूलाल के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	210	14.80	14.80
32	ग्राम पंचायत-डाफी में सुक्खू चौधरी के घर से प्रवीण दुबे के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	75	8.16	8.16

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
33	ग्राम पंचायत-सुइचक में राजभर बस्ती में सी0सी0 मार्ग का निर्माण का कार्य।	210	14.98	14.98
34	ग्रामसभा-रमना में अजय पटेल के घर के दक्षिण दिशा में ईंट के खडंजे से सच्चे लाल पटेल और बच्चे लाल के प्लाट के बीच से शुरू होकर मनोज कुमार मिश्रा के घर से होते हुए राजेन्द्र कुमार के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	115	11.71	11.71
35	रोहनिया विधानसभा के बच्छांव गाँव मे श्रवण की दुकान से शोभा चौरसिया के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	300	21.94	21.94
कैंट विधानसभा				
36	अशोक विश्वकर्मा मकान न0 बी 33/43 ए से सुनील के मकान तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	262	9.92	9.92
37	वार्ड सरायनन्दन स्थित आशुतोषनगर कॉलोनी में मुख्य मार्ग से राधिका फैशन से लेकर श्री पंकज कुमार के आवास तक व श्री नटबीर बाबा मंदिर होते हुए गोल्डेनबीम स्कूल तक नाली व पटरी का कार्य ।	661	67.66	67.66
38	देवनाथ के मकान से लेकर पकौड़ी के मकान से होते हुए चंडी दास के मकान तक इंटरलॉकिंग का कार्य।	190	5.49	5.49
39	अभिनव वर्मा के मकान से लेकर राजनारायण मौर्य के मकान तक इंटरलॉकिंग का कार्य	114	15.68	15.68
40	रामजी सोनकर से लेकर शंभू सिंह के मकान तक इंटरलॉकिंग का कार्य	215	15.52	15.52
41	बबलू समोसा की दुकान से लेकर बाबा जी सोनकर के मकान तक इंटरलॉकिंग का कार्य	300	17.51	17.51
42	भाईलाल सोनकर के मकान से लेकर बंसीलाल मौर्य के बाउंड्री तक इण्टरलॉकिंग का कार्य।	105	7.28	7.28
43	राधेश्याम चतुर्वेदी के मकान से लेकर परदेसी गुप्ता के मकान तक इंटरलॉकिंग का कार्य	50	4.65	4.65
44	शिवकुमार सेठ के मकान से लेकर अनल मियां के मकान तक इंटरलॉकिंग का कार्य	183	15.59	15.59
45	रत्तापुर में ओमप्रकाश विश्वकर्मा के मकान से लेकर शंभू मौर्य के मकान तक इंटरलॉकिंग का कार्य	485	26.19	26.19
46	श्री गौरी जायसवाल जी के आवास से श्री रवि केसरी जी के आवास तक इण्टरलॉकिंग का कार्य।	70	3.65	3.65
47	श्री शमशेर आलू वाले जी से श्री दिलीप सिंह जी के आवास तक रामपुर शायर माता के बगल वाली गली में इण्टरलॉकिंग कार्य।	253	15.20	15.20
48	श्री केशव टाइप वाले की दुकान से श्री गोपाल जी चाय वाले की दुकान तक इण्टरलॉकिंग का कार्य।	127.7	6.40	6.40
49	भगवानपुर के हरिओमनगर कॉलोनी में श्रीमती प्रियंका सिंह के आवास से श्री रमाशंकर पांडे जी की आवास तक भूमिगत जल निकासी एवं इंटरलॉकिंग कार्य।	122	11.80	11.80
50	वार्ड नं0 54 नरिया में रश्मि नगर कालोनी में विजय पटेल के आवास से लेकर डॉ० एम०जी० राय तक डॉ० टी०के० लहरी के मकान से होते हुए सुभाष सोनकर के मकान के तक लेपन बी0सी0 कार्य।	278	39.09	39.09
51	श्री मनोज सिंह इंजीनियर के मकान से पूरब कोने से दक्षिण डा0 अवध नारायण त्रिपाठी का मकान श्री अरविन्द राय का मकान तथा श्री सुदर्शन पटेल का मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	150	17.12	17.12

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
52	श्री अवधनारायण त्रिपाठी के मकान के पहले से पूरब श्री मनोज सिंह का मकान से श्री पप्पू सिंह के मकान तक वाया महेन्द्र सिंह की दुकान इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य ।	180	23.39	23.39
53	ग्राम-सुल्तानपुर, रामनगर में पंडित जी की चक्की से कजरी गौरैया वाले रास्ते का निर्माण। इण्टरलॉकिंग कार्य	200	13.32	13.32
54	पंचकोशी मुख्य मार्ग से लेकर कृष्णापुरी कालोनी में श्री जगत नारायण सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	282	24.42	24.42
55	वार्ड 21 पच्कोशी सडक दुर्गा विहार कालोनी से त्रिलोक नगर कालोनी के बीच सड़क इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	163	14.60	14.60
56	अकथा वार्ड में मलिन बस्ती नटोलिया पैगम्बरपुर में सुरेश की गली से सुबाश के घर होते हुए पंचकोशी लिंक रोड तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य	600	13.01	13.01
उत्तरी विधानसभा				
57	राजेंद्र गांधी से कुंआ होते हुए मदन, बनारसी, प्रेमचन्द्र गुप्ता के बगल वाली गली से सुरेश अंडा वाले के मकान से रामलाल तक और शंकर यादव के मकान से होते हुए गोवर्धन यादव से गुलाब सोनकर तक पंचम के मकान तक और महेन्द्र बिल्डिंग के मकान से राय साहब के मकान होते हुए डा० एके सिंह के क्लिनिक से सनी देव मन्दिर तक गली निर्माण कार्य।	592	17.31	17.31
58	सरसौली श्री कृष्णपुरम कॉलोनी में राजेश चौहान वाली गली में इंटरलाकिंग निर्माण कार्य	120	5.44	5.44
59	नारायणपुर वार्ड में विद्या सिंह के माकन से प्रभा पब्लिक स्कूल गली में इंटरलाकिंग कार्य	310	21.12	21.12
60	नारायणपुर वार्ड में भरत लाल सोनकर से महेश कुमार तक गली में इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	360	9.53	9.53
61	भरत लाल सोनकर मकान नं0 S1/31-5 चुप्पेपुर सेंट्रल जेल रोड से महेश कुमार S-1/45 चुप्पेपुर सेंट्रल जेल गली का निर्माण कार्य	70	2.23	2.23
62	गिलट बाजार मस्जिद से नंदनी बल निकेतन स्कूल सेंट्रल जेल रोड तक पटरी में इंटरलाकिंग निर्माण कार्य	470	27.81	27.81
63	नारायणपुर वार्ड में श्री गोवर्धन राय के घर से मनोज कुमार के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य	170	7.02	7.02
64	वार्ड सारनाथ रवि प्रकाश के मकान से दिवाकर त्रिपाठी के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	80	3.87	3.87
65	रामजानकी धाम कालोनी शिवपुर के विराजमान निवास से डा .शिला सिंह के मकान से होते हुए श्री अशोक सिंह के घर से श्री सिंह के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य	105	6.85	6.85
66	वार्ड अकथा में मुसहर बस्ती अकथा अशोका कालेज रोड से लेकर शिवकुमार वनवासी के मकान तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य	305	15.58	15.58
67	वार्ड अकथा में मलिन बस्ती पैगम्बरपुर में सुरेन्द्र गौड के आगे आजाद सिंह फौजी सी.आर.पी.एफ घर से लेकर टेहडी बिन्द के मकान तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य	225.5	9.07	9.07
दक्षिणी विधानसभा				
68	वार्ड न0 68 कोनिया मे श्री ओम प्रकास सिंह के भवन से श्री सुरेश तिवारी जी के आवास तक गली का निर्माण कार्य।	60	4.87	4.87

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
69	वार्ड न 68 कोनिया में संत लाल के दुकान से मोती लाल मौर्य जी के आवास से होते हुए श्री गुरुचरण प्रसाद विश्वकर्मा के आवास तक गली निर्माण कार्य	542	15.86	15.86
70	वार्ड न 68 कोनिया में माँ अन्नपूर्णा स्कूल से डॉ० ओ० पी० स्कूल होते हुए कोनिया घाट तक गली निर्माण कार्य	471	23.88	23.88
71	वार्ड न 68 कोनिया में रामचंदर मौर्य जी के आवास से दिलीप मौर्य जी के आवास होते हुए श्री पारसनाथ अग्रहरी जी के आवास तक गली निर्माण का कार्य	226	7.45	7.45
72	वार्ड ईश्वरगंगी 73 ईश्वरगंगी पोखरा के चारो तरफ नये पत्थर / इंटरलाकिंग से गली निर्माण का कार्य।	438	26.61	26.61
73	कण्ठीपुर चौराहा से पटेल बस्ती होते हुये कण्ठीपुर सरहद तक सड़क निर्माण का कार्य।	550	22.74	22.74
74	मनियारीपुर में पिच रोड से गौरीशंकर के मकान तक सड़क निर्माण का कार्य।	350	13.34	13.34
75	करनाडाडी में पंचायत भवन से शिव सागर के घर तक सड़क निर्माण का कार्य।	560	21.78	21.78
76	सिहोरवा (30) में पटेल बस्ती होते हुये मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण का कार्य।	1000	37.23	37.23
77	कपरफोरवा में रेखा पटेल के घर से बिहारी पटेल के घर होते हुये विजेन्द्र के घर तक सडक निर्माण का कार्य।	850	31.85	31.85
78	टडिया मोड से विष्णु प्रधान के घर तक सड़क निर्माण का कार्य।	400	12.95	12.95
79	कनेरी में तहसील मुख्य मार्ग से कल्लू पटेल के घर होते हुये दूधनाथ के घर तक सड़क निर्माण का कार्य।	500	16.68	16.68
80	करसड़ा पतेरवां में रामबली पटेल के घर से सनबीम सनसिटी ग्रामीण स्कूल के पास तक सड़क निर्माण का कार्य।	550	22.45	22.45
	योग:	**22880.2**	**1298.26**	**1298.26**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
4. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
6. कार्य का निर्माण,लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

7. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों,समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।
11. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
12. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
13. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
16. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
18. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
19. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
20. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
21. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
22. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
23. प्रयोजनान्तर्गत नियमानुसार 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई है। जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

24. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
25. प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
26. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्तधन राशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

2- इस संबंध में उपर्युक्त तालिका के **(1)** क्रमांक 1 से 28, 30 से 35, 56, 61 से 62 एवं 74 से 81 पर अंकित कार्यों पर होने वाला व्यय रू. 7,45,88,000/- (रूपये सात करोड पैतालिस लाख अट्ठासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 040 **लेखाशीर्षक** 5054043370301- ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य एवं **(2)** शेष कार्यों यथा- क्रमांक 29, 36 से 55, 57 से 60, 63 से 67 व 69 से 74 पर होने वाला व्यय रू. 5,52,38,000/- (रूपये पॉच करोड बावन लाख अड़तिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 040 **लेखाशीर्षक** 5054043370302- **शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए** एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:62/2025/468(1)/35-4-2025/35-4099/45/2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, वाराणसी।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, वाराणसी।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।